झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 के तहत विभिन्न विषयों से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु निर्गत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के सकल्प संख्या 3053 दिनांक 16.10.2015 की कंडिका–ख के संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना संख्या–05/पी0 (विविध)–05/2012– 1203 (6) दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 के तहत विभिन्न विषयों से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु निर्गत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के संकल्प संख्या 3053 दिनांक 16.10.2015 की कंडिका–ख के संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16.11.2016 के मद संख्या–11 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के लिए 11वीं अनुसूची एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 75, 76 एवं 77 में वर्णित विषयों से संबंधित शक्तियों का प्रत्यायोजन के लिए विभागो द्वारा निर्गत आदेशों के संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के संकल्प संख्या– 3053 दिनांक– 16.10.15 द्वारा उक्त आदेशों के क्रियान्वयन के संदर्भ में निदेश निर्गत किए गए हैं। इस संकल्प की कंडिका "ख" में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड से संबंधित प्रत्यायोजित शक्तियों का विवरण अंकित है ।

3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के उक्त शक्ति प्रत्यायोजन के प्रावधान के संबंध में विभिन्न श्रोतों से प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका "ख" को निम्नरुप से यथा स्तम्भ '3' के अनुरुप संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:–

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के संकल्प संख्या 3053 दिनांक 16.10.15 की कंडिका	वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3
ख (i)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख एवं सदर अस्पताल के प्रबंध समिति अध्यक्ष जिला परिषद् अध्यक्ष होंगे।	यथावत्।

ख (ii)	ग्राम पंचायत के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि स्वास्थ्य केन्द्रों/ उप केन्द्रों पर चिकित्सक पूर्व से निर्धारित तिथियों पर अवश्य जाएँ। चिकित्सकों द्वारा केन्द्रों पर जाने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन मुखिया के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ असैनिक शल्य चिकित्सक को प्रेषित की जाएगी। इसी आधार पर उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई होगी।	ग्राम पंचायत, जिसके क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्र अवस्थित हो, के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों पर चिकित्सक पूर्व से निर्धारित ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अवश्य जायें। चिकित्सकों द्वारा केन्द्रों पर जाने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन संबंधित मुखिया के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। इस प्रतिवेदन का भी वेतन भुगतान करने के पूर्व ध्यान में रखा जाएगा।
ख (iii)	ए०एन०एम० को अवकाश की स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुखिया से लेनी होगी तथा मुखिया के मासिक उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही ए०एन०एम० के वेतन का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।	ए0एन0एम0 को अवकाश की स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुखिया, जिस ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में केन्द्र अवस्थित है, से लेनी होगी तथा मुखिया के मासिक उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही ए0एन0एम0 के वेतन का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
ख (iv)	प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रमुख के द्वारा दी जाएगी। इससे संबंधित पंजी का संधारण पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी/सचिव द्वारा की जाएगी।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रमुख के द्वारा दी जायेगी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों की आकस्मिक अवकाश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। इससे संबंधित पंजी का संधारण क्रमशः पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी/सचिव एवं संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
ख (v)	जिला स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा दी जाएगी। इससे संबंधित पंजी का संधारण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा।	जिला स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा दी जायेगी तथा जिला स्तरीय अन्य पदों पर पदस्थापित एवं सदर अस्पताल के चिकित्सकों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। इससे संबंधित पंजी का संधारण क्रमशः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

1100(3)
14/9/17

4. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम–2001 के तहत विभिन्न विषयों से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु निर्गत ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड के संकल्प संख्या 3053 दिनांक 16.10.2015 की कंडिका–ख के संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश – सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(सुधीर त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 3/विविध–04–65/16– 1100 (3) राँची, दिनांक– 14/9/17

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीर त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 3/विविध–04–65/16– 1100 (3) राँची, दिनांक– 14/9/17

प्रतिलिपिः माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी विभागीय पदाधिकारियों/सभी उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी सिविल सर्जन/प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद/एम0जी0एम0सी0एच0, जमशेदपुर/निदेशक, रिम्स/रिनपास/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव